भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग मुख्यअभियंता का कार्यालय ऊपरी गंगा बेसिन संगठन



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD&GR Central Water Commission Office of Chief Engineer Upper Ganga Basin Organization

## सेवा में

श्री दिनेश चंद्र गंगवार, ग्राम हरेली अलीपुर, पोस्ट टिसुआ तहसील फरीदपुर, बरेली 243506

विषय: श्री दिनेश चंद्र गंगवार की RTI application no CWCND/R/E/25/00122 dt 13/04/2025- के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त आवेदन जो इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2025 को आरटीआई पोर्टल से प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वान्छित जानकारी अधीनस्त कार्यालय से प्राप्त होने के उपरांत संलग्न है ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब के खिलाफ प्रथम अपील, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी से किया जा सकता है। इस संगठन के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री राजीव कुमार, मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन केन्द्रीय जल अयोग,जाह्नवीसदन 21/496, इन्दिरा नगर, लखनऊ -226016(उ 0 प्र 0) ई-मेल : ceugbo-cwc@nic.in दूरभाष स. 0522-2715832 हैं।

संलग्न :यथोक्त

Signed by Shiv Sunder Singh

Date: 09-05-2025 14:37:18

Reason: Approved

(**शिव सुन्दर सिंह**) अधीक्षण अभियंता (समन्वय) एंव सीपीआईओ

प्रति,

उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (आरटीआई), जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।





'Jahnvi Sadan', 21/496, Indira Nagar, Lucknow-226016 Tel: 0522-2715832

E-mail: secolucknow-cwc@nic.in

Conserve Water- Save Life□

## File No.A-52/11/2021-HOC-DEHRADUN-Part(1)

1/204742/2025 सरकार

जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल,देहरादुन



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hydrological Observation Circle,Dehradun

सेवा में.

अधीक्षण अभियंता (समन्वय), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ |

विषय: आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत आर.टी.आई. आवेदन श्री दिनेश चंद्र गंगवार की RTI application no.

CWCND/R/E/25/00122 Dt. 13/04/2025 के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ : आपका पत्रांक : I-12011/32/2023-UGBO/I/202787/2025 दिनांक : 16/04/2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री दिनेश चंद्र गंगवार, ग्रामhareili alipur, Post-tisua, Teh. Faridpur, Distic: Bareilly, Pin – 243506 से सम्बन्धित मांगी गई इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय मध्य गंगा मंडल-II, लखनऊ से सम्बन्धित जानकारी संलग्न कर सादर प्रेषित है |

संलग्नक : यथोक्त भवदीय

Signed by Sudhir Kumar Date: 07-05-2025 16:23:43

Reason: Approvend कुमार) अधीक्षण अभियन्ता

156,वसंत विहार, फेज-1,देहरादून-248006 दूरभाष: 0135-2761562, फेक्स-0135-2760631,

ई मेल: sehocdehradun-cwc@nic.in

□जल संरक्षण-स्रक्षित भविष्य□



156,Vasant Vihar, Phase-1,Dehradun-248006 Tel: 0135-2761562, Fax-0135-2760631

E-mail: sehocdehradun-cwc@nic.in

□Conserve Water- Save Life□



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD & GR Central Water Commission Office of the Executive Engineer Middle Ganga Division-II

पत्रांकः 1/12/2016/स्था0-पी.क्यू /वी.आई.पी.आर.टी.आई/म0ग0म0-2/ 🕽 🖁 २० 🖰 🍮

दिनांकः 06/05/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल केन्द्रीय जल आयोग देहराद्न

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका ई मेल दिनांक 06.05.2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में निम्न लिखित विवरण के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत Shri Dinesh Chandra gangwar, village- Hareli Alipur, Post-Tisua Tehsil faridpur, Bareilly, Uttar Pradesh, Pin: 243506 द्वारा वांछित सूचना निम्नवत है|

<b>क</b> .	मांगी गई सूचना	इस कार्यालय की सूचना
सं.		
(1)	Contractor Shri Saurabh Walia is paying less wages in Bareilly, Surendraabad, Uttarakhand and is giving different amounts at all places, somewhere Rs. 5500, somewhere Rs. 6000, somewhere Rs. 6500. Despite this, all the bills of the contractor are being passed by the Executive Engineer, Shri	सूचना की परिभाषा में "क्यों" प्रश्न का उत्तर शामिल नही किया जा सकता, जो किसी विशेष चीज़ के औचित्य के लिए कारण पूछने के समान होगा। अतः उक्त RTI का प्रतिउत्तर इस कार्यालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
(2)	Sarbjit Kumar Singh. Why excess.  Executive Engineer, Middle Ganga Division - 2. Shri Sarbjit	
	Kumar Singh never took information from the support staff about the salary they were getting. On what basis are the bills of contractor Shri Saurag Walia being passed without the information and why? Explain with reason.	
(3)	Executive Engineer, Middle Ganga Division - 2, Shri Sarbjit Kumar Singh Has Shri Sarbjit Kumar Singh taken money from the contractor and why? Bills are being passed continuously by taking money. Why and on what basis is this being done Yes? Explain with reasons.	
(4)	Executive Engineer, Middle Ganga Division-2. Shri Sarbjit Kumar Sing has not yet taken the information of salary received by the support staff and their bank statements from	

केंद्रीय भवन, द्वितीय तल, हाल सं.-3, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 दूरभाषसं.-0522-2746293 ई-मेल-eemgd2-cwc@gov.in



Kendriya Bhawan, II<sup>nd</sup> Floor, Hall No.3,Sector- H, Aliganj, Lucknow-226024 Phone-0522-2746293

Email: eemgd2-cwc@gov.in

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय अधिशासी अभियंता मध्य गंगा मण्डल-दवितीय



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD & GR Central Water Commission Office of the Executive Engineer Middle Ganga Division-II

d. 20	February 2024 till now, why and on what basis, please	
	explain with 1 reason.	
(5)	Executive Engineer, Madhya Ganga Division-2. What	
	percentage share did Shri Sarbjit Kumar Singh take from the	
	contractor in the tender of 14 crores? Why and on what	
	basis is he continuously exploiting the support staff in	
	connivance with the contractor? Explain with reasons.	
(6)	In which act is the provision of 4 hours duty in Central	
	Water Commission written, Executive Engineer Shri Sarbjit	
	Kumar Singh, please provide a copy of that act to the	
	applicant, if you cannot provide it then please explain with	
	the reason.	

भवदीय,

(सर्वजीत कुमार सिंह) अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता(स.), ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग,लखनऊ को सूचनार्थ (द्वारा अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, देहरादून |

